प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई.सं.1987/जी0एस0 दिनांक 28.8.2003 द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी के विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

आपके पत्र संख्या सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/2909/2003 दिनांक 31.7.2003 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के संबंध में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन सरस्वती महिला महाविद्यालय विजयनगर कानपुर को बी00एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2003 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी ।
2. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
3. संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र "बी" में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है ।
4. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी । विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है ।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

<u>छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर</u>

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 4051 /2003 दिनांक 15-9-2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, सरस्वती महिला महाविद्यालय विजयनगर कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । सत्र 2003-2004 से कक्षायें संचालन हेतु 30 छात्रायें विज्ञान वर्ग तथा 70 छात्राओं कला वर्ग में प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करने की अनुमति माननीय कुलपति जी ने प्रदान करने की कृपा की है ।
2. सहायक कुलसचिव(बी0एड0 प्रवेश परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि सत्र 2003-2004 हेतु बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों पर छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।
3. सहायक कुलसचिव(अतिगोपनीय) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

कुलसचिव

प्रबन्धक/सचिव
सरस्वती महिला महाविद्यालय
विजय नगर कानपुर